

न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का रोहिण्डी
बनाम

अप्रार्थी :- हरिराम पुत्र मगनाराम गुर्जर निवासी सिंहोठगढ
अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956
प्रकरण संख्या 53/17

निर्णय दिनांक 26/9/2017


पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रोहिण्डी ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2074 में सरहद सिंहोठगढ के ख.न. 128 रकबा 0.012 है. भूमि किस्म गै.मु. मंगरा में बाड़ लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं से नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी दिनांक 22.9.17 को उपस्थित हुआ। एवं जबाब प्रस्तुत किया कि मेरे द्वारा जो खन्दक लगा कर अतिक्रमण किया था उसे हटा दिया गया है एवं भविष्य में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेंगे।

प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी का मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5 रुपये प्रति है. की दर से अतिक्रमित रकबा 0.012 है. भूमि के 0.20 रुपये लगान का 50 गुणा 10/- अक्षरे दस रुपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


तहसीलदार परबतसर

17-18
101
राजस्थान सरकार